# प्रवेश निर्देशिका
## 2022-2023

# राजकीय महाविद्यालय नैनबाग टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल (टिहरी गढ़वाल) से सम्बद्ध)

✉ : principalgdcnainbagh2001@gmail.com

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची

(वर्ष 2022-23)

**प्राचार्य - डॉ. सुमिता श्रीवास्तव**

- **हिन्दी विभाग**

  रिक्त

- **भूगोल विभाग**

  डॉ. ब्रीश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

- **अर्थशास्त्र विभाग**

  श्री परमानन्द चौहान (असिस्टेंट प्रोफेसर)

- **समाजशास्त्र विभाग**

  श्री संदीप कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

- **इतिहास विभाग**

  डॉ. दिनेश चन्द्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)

- **राजनीति विज्ञान विभाग**

  डॉ. मधु बाला जुवाँठा (असिस्टेंट प्रोफेसर)

- **अंग्रेजी विभाग**

  श्री चतर सिंह (नि.अ.का. फैकेल्टी)

## कार्यालय

1. श्रीमती रेशमा बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2. श्री सुशील चन्द्र (उपनल) कनिष्ठ सहायक
3. श्री अनिल सिंह (अनुसेवक)
4. श्री रोशन सिंह रावत (उपनल) अनुसेवक
5. श्री मोहनलाल (उपनल) स्वच्छक/चौकीदार

## पुस्तकालय

1. श्री विनोद कुमार, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2. श्री दिनेश सिंह (उपनल) पुस्तकालय लिपिक
3. श्रीमती रीना (उपनल) पुस्तकालय परिचर

## भूगोल विभाग

1. श्री भुवन चन्द्र, प्रयोगशाला सहायक (उपनल)

# राजकीय महाविद्यालय नैनबाग (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड

## महाविद्यालय- एक परिचय

पतित पावनी कालिंदी (यमुना) के तट पर भगवान भद्रराज की पावन नगरी नैनबाग में सम्पूर्ण जौनपुर एवं जौनसार क्षेत्र में उच्चशिक्षा की रश्मियां बिखेरने वाले इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2001 में की गयी। सन् 2001 से कला संकाय के (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र) विषयों के अन्तर्गत बी0ए0 प्रथम वर्ष की कक्षाओ में थोड़े से छात्र/छात्राओं, प्राचार्य, प्राध्यापकों से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। तब से महाविद्यालय रूपी यह पौधा क्षेत्र की जागरूक जनता के सहयोग से सिंचित होता रहा है और आज अपने समस्त स्टाफ सहित यह एक वटवृक्ष बनता जा रहा है, जिसकी छाया मे विद्यार्थी ज्ञान का पाठ पढ़ते हैं।

वर्ष 2014-15 में महाविद्यालय के अपने भवन का निर्माण स्थानीय जनता द्वारा दान की गयी भूमि पर प्रारम्भ हुआ था। इस प्रयास का सुफल यह हुआ कि शैक्षिक सत्र 2017-18 से नवीन महाविद्यालय भवन अध्ययन हेतु उपलब्ध हो गया। साथ-साथ रुसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत महाविद्यालय भवन परिसर में आधुनिक (हाईटेक) तकनीकी स्मार्ट क्लासेज आधारित कक्ष हैं जिसके माध्यम से वैश्विक तकनीकी, सूचना, व्यवहारिक एवं व्यवसायी शिक्षा में छात्र-शिक्षक वृहद एवं उच्चकोटि का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के फलस्वरूप सम्पूर्ण जौनपुर क्षेत्र में उच्चशिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। स्थापना वर्ष के समय से महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण यह महाविद्यालय सामुदायिक विकास भवन में चौदह वर्षो तक संचालित होता रहा।

**महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश-**

1. महाविद्यालय में सभी कक्षाओ में वर्ष 2020-21 प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर होंगे। प्रवेश प्रक्रिया दो चरणो में सम्पन्न होगी।

**प्रथम चरण**- नये प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र निम्नलिखित संलग्नकों के साथ निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करने होंगे-

**क.** हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

**ख.** हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

**ग.** अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाणपत्र) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी0सी0) की मूल प्रतियाँ,व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**घ.** अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति प्रमाण पत्र।

**ड.** जिला स्तरीय खेलकूद प्रमाण **पत्र/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट/प्रमाण** पत्र, स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री अथवा अवकाश प्राप्त या कार्यरत सैनिक/अर्धसैनिक बलों के आश्रित विषयक प्रमाण पत्र।

**द्वितीय चरण:** - आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात कक्षावार उपलब्ध सीटों के अनुसार योग्यता सूची घोषित की जाएगी। योग्यता सूची के आधार पर प्रवेशार्थियों को चरणबद्व तरीके से साक्षात्कार एवं प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के समय प्रमाणपत्रों की मूल प्रति के साथ प्रवेशार्थी को स्वयम् उपस्थित होना अनिवार्य है। टी0सी0 एवं सी0सी0 की मूल प्रति जमा करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश अंक सुधार के उपरान्त कदापि नहीं दिया जाएगा।

**1. अध्ययन के विषय :** स्नातक स्तर

| क्र0स0 | उपाधि | विषय | सीट | अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | बी0ए0 | हिन्दी, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान | 120 | 03 वर्षिय |
| | | अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल | 60 | |

**नोट-** 1. तीनों साहित्य विषय एक साथ लेना विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिबन्धित है।

2. सैक्शन में छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

3. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित अन्य नियम मान्य होंगे।

4. उपरोक्त विषयों में से किन्ही तीन विषयों का चयन करना होगा।

**योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश -**

स्नातक स्तर इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोडकर बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर सूचकांक क्रमानुसार उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

1. एन0सी0सी0 के ''ए'' प्रमाण-पत्र धारक के 2 अंक तथा ''बी'' प्रमाण पत्र धारक को 3 अकं तथा ''सी'' प्रमाण पत्र धारक को 5 अकं अतिरिक्त अकं देय होंगे तथा आर0 डी0 परेड में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 3 अंक देय होंगे।
2. एन0एस0एस0 के ''ए'' ''बी'' तथा ''सी'' प्रमाण पत्र धारकों को क्रमशः 2, 3 एवं 5 अंक देय होंगे।
3. योग्यता सूची में प्रेवश हेतु अधिकतम 15 अंक देय होगें।
4. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिये प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यार्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा,बशर्ते वे वरीयता सूचकांक अर्ह होंगे।
5. अधिकतम दो वर्ष का गैप अनुमन्य होगा तथा गैप होने की दशा मे 5 अंक प्रतिवर्ष कम कर दिये जायेंगे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तरांचल शासन के पत्रांक 114/ वार्षिक-2-2001-53 (1) 2001, के अनुसार अनुमन्य,जो कि निम्वत् है:

1. अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति- 04 प्रतिशत ।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग- 14 प्रतिशत (नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र धारक के लिए)
4. सामान्य वर्ग की कुल सीटों में से 10% सामान्य गरीब अभ्यर्थियों (EWS) हेतु सुरक्षित रहेंगी।

महिलाओं, सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरीजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

1. महिलाए-30 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक- 02 प्रतिशत
3. विकलांग व्यक्ति - 03 प्रतिशत
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित- 02 प्रतिशत

(जो महिला या व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा)

**प्रवेश नियम सत्र 2020-21**

1. प्रवेश के समय अभ्यार्थी को प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. गत वर्ष की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते पकड़े गये अभ्यर्थी आवेदन न करें।
3. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश पूर्णतः वरीयता सूची के अनुसार देय होगा।
4. अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा तथा संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे अनुत्तीर्ण/ड्रापर। विद्यार्थी/भूतपूर्व या व्यक्तिगत विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मलित हो सकते हैं। ड्रापर का तात्पर्य ऐसे छात्रों से है जिन्होंने विधिवत् महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो तथा किसी कारण वश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हो। विश्वविद्यालय नियमानुसार ड्रापर विद्यार्थी भी अनुत्तीर्ण ही माने जाते हैं।
5. विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष, जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मलित है, संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन की सुविधा रहेगी। स्नातक प्रथम वर्ष के समय अधिकतम 2 वर्ष का गैप अनुमन्य है। योग्यता सूची के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से कम दिये जायेंगे।
6. विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता जिसको विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
7. संस्थागत विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा।

8. व्यक्तिगत/गैप वाले अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/लोक सभा या विधान सभा सदस्य/महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्ता द्वारा निर्गत सम्बन्धित अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रवेश हेतु गैप दो वर्ष से अधिक मान्य नहीं होगा।
9. जिन विद्यार्थियों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा प्रदत्त प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। कानून द्वारा दण्डित अभ्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. किसी भी प्रकार का असत्य कथन एवं तथ्य को छुपाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में दोषी विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है/अर्थदण्ड दिया जा सकता है अथवा/तथा विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
11. कार्यालय में शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र जमा होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।
12. प्राचार्य को बिना कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने अथवा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया। प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
13. उत्तराखण्ड प्रदेश अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियो को अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. स्नातक स्तर पर किसी भी कक्षा में दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। (उक्त संदर्भ में विषय परिवर्तन के साथ भी दोबारा प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।)
15. यदि छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त के लिए आवेदन प्रवेश की अन्तिम तिथि से पूर्व किया जाता है, तो रिक्त सीट प्रतीक्षा सूची से भरी जायेगी।
16. विश्वविद्यालय/शासन द्वारा प्रवेश सम्बन्धी नियमों मे कोई भी परिवर्तन सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा।
17. प्रवेशोपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी की किसी भी समय/स्तर पर पात्रता संबंधी कमी प्रकाश में आती है तो, उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

**बी0ए0 प्रथम में प्रवेश के लिए विशेष नियम**

**स्नातक:--**

1. 39.99 अथवा 44.99 को क्रमश: 40 अथवा 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश अर्हता 5 प्रतिशत की छूट होगी।
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+02) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रवेशार्थी स्नातक वर्ष मे प्रवेश हेतु अर्ह हैं।
4. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि (10+02) अनुपूरक/कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे - अभ्यर्थियो को प्रवेश दिया जा सकता है जिन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किये हों अन्यथा वे प्रवेश के अयोग्य होंगे।
5. गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन से पंडित परीक्षा (कक्षा-12) उत्तीर्ण अभ्यार्थी को किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। (विश्वविद्यालय प्रेस विज्ञप्ति संदर्भ संख्या परीक्षा/2007/3350, - अनुस्मारक द्वारा कुलसचिव, पत्रांक- ग0वि0वि0/परीक्षा/2008 दिनॉक 03-05-2008)।

**अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम:**

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को पूर्णत: अनुशासित रहकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यंक पालन करना होगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है।

3. किसी भी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय परिसर मे हड़ताल करना तथा किसी भी प्रकार की हड़ताल को समर्थन देना अनुशासनहीनता माना जाएगा।
4. महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचना तथा क्षति पहुँचाने का प्रयास करना, अध्ययन तथा अध्यापन मे व्यवधान पहुचाना,दीवारों पर पोस्टर लगाना या लिखना, लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करना, महाविद्यालय परिसर मे शोर मचाना, सूचना पट से नोटिस फाड़ना या उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध है।
5. उपर्युक्त किसी भी व्यवस्था के पूर्ण या आंशिक उल्लंघन/अवहेलना करने पर दोषी विद्यार्थी का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रावधानानुसार दण्डित-निलम्बित, निष्कासित अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

**छात्र/छात्राओं के लिए अन्य निर्देश**

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि-

1. वे प्रतिदिन सूचना पट पर अंकित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें।
2. किसी भी समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम विभाग प्रभारी या कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
3. महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुऐ अनुशासित व्यवहार एवं आचरण बनाये रखें।
4. महाविद्यालय में जो भी धन जमा किया जाय उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी प्रकार की क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयम् जिम्मेदार होगा।
5. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका मे अपना नाम लिखना सम्बंधित विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
6. महाविद्यालय मे 180 दिन का वार्षिक अध्यापन तथा प्रतिदिन विद्यालय छात्र/छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित होनी आवश्यक है।

**उपस्थिति नियमः-**

शासनादेश संख्या 5228 (1) 15-(उ0शि0) 1/97 दिनॉक 11 जून, 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा मे सम्मलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नही कर सकेगा जब तक कि व व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नही करता। भूगोल जिनमें प्रयोगात्मक कक्षाए होती हैं, प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि वांछित उपस्थिति में कमी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नही होने दिया जाता है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा।

**शुल्क विवरणः-**

1. शासनादेश सं0-50/उच्चशिक्षा/2003 दिनॉक 12 मई 2003 तथा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पृ0सं0 डिग्री बजट/1000/94/2003-04 दिनॉक 21 मई 2003 के अनुपालन में शिक्षण सत्र 2003-2004 से बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई है।
2. महाविद्यालय में शुल्क और सुरक्षित धन की दरें निम्नलिखित हैं। इन दरों में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रवेशार्थी द्वारा पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देय होगा। शुल्क विवरण निम्नवत है

# कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग (टिहरी गढ़वाल)

## शुल्क विवरण वर्ष -20---20---

| क्र0 सं0 | शुल्क विवरण | बी0ए0 प्रथम वर्ष | | बी0ए0 तृतीय वर्ष | | बी0ए0 पंचम सेमेस्टर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क | प्रयोगात्मक विषय शुल्क | बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क | प्रयोगात्मक विषय शुल्क | बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क | प्रयोगात्मक विषय शुल्क |
| | **राजस्व शुल्क** | | | | | | |
| 1 | प्रवेश शुल्क | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 |
| 2 | महंगाई शुल्क | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 3 | प्रयोगशाला शुल्क | – | 240.00 | – | 240.00 | – | 240.00 |
| 4 | पुस्तकालय शुल्क | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 | 03.00 |
| 5 | विकास शुल्क | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | पंखा शुल्क | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 | 05.00 |
| | **योग** | 271.00 | 511.00 | 271.00 | 511.00 | 271.00 | 511.00 |
| | **छात्र निधि शुल्क** | | | | | | |
| 7 | महाविद्यालय दिवस शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 8 | प्रांगण विकास शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | क्रीड़ा शुल्क | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10 | वाचनालय शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 11 | पत्रिका शुल्क | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 12 | परिचय पत्र शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 13 | निर्धन छात्र सहयता | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | कम्प्यूटर, इन्टरनेट शुल्क | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 15 | सांस्कृतिक परिषद | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 16 | विभागीय परिषद | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 17 | छात्र संघ शुल्क | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | कैरियर काउन्सिलिंग शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 19 | विद्युत शुल्क | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 20 | विविध शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | प्रसाधन शुल्क (सौन्दर्वकरण) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 22 | प्रयोगात्मक सामग्री | – | 60.00 | – | 60.00 | – | 60.00 |
| 23 | शिक्षण-अभि0संघ शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | योग | 1035.00 | 1095.00 | 1035.00 | 1095.00 | 1035.00 | 1095.00 |
| | महायोग | 1306.00 | 1606.00 | 1306.00 | 1606.00 | 1306.00 | 1606.00 |

**परीक्षा, नामांकन, उपाधि एवं पर्यावरण शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।**

**नोट:** 1. परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद खो जाने पर क्रमश: रू0 100 एवं रू0 50 जमा करने पर ही कार्यालय से द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।

2. चरित्र प्रमाण पत्र द्वितीय प्रति निर्गत करने हेतु रू0 15 जमा करना होगा।

**1. राष्ट्रीय सेवा योजना :-** छात्रों के विकासोन्मुखी पठ्येन्तर कार्यक्रम, इसके अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे श्रमदान, पर्यावरण संवर्धन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अनुसूचित जाति कल्याण साक्षरता रक्तदान एड्स जागरूकता आदि से सम्बन्धि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में एन0एस0एस0 में अधिकृत प्रवेश स्थान 100 है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा छः विभागों में राष्ट्रीय सेवा योजना के ''बी'' एवं ''सी'' प्रमाण पत्र धारक स्वयंसेवियो की सेवानियुक्ति मे वरीयता/अधिमान दिया जाना प्रस्तावित है।

**2. क्रीडा परिषद:-** महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के साथ ही खेल-कूद की विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। जिसमें समस्त छात्र-छात्राओं के प्रतिभाग का प्रावधान है।

**3. सांस्कृतिक परिषद :-** विद्यार्थियो मे सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस परिषद् का गठन किया गया है। यह कार्य महाविद्यालय मे 'संस्कृतिक' क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के द्वारा सम्पन्न होता है। यह क्लब नियमित अन्तराल पर लोक गायन, लोक नृत्य, कविता आदि की अन्तसंकाय प्रतियोगिता आयोजित करता है जिसमे भाग लेकर छात्र/छात्राए अपनी सांस्कृतिक अभिरूचि का प्रदर्शन तथा पोषण करते हैं।

**4. छात्र-संघ:-** छात्र-संघ चुनाव माननीय उच्चतम् न्यायलय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil)N024295/2004/दिनॉक 24-06-2004 जो अपने महाधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या 4240 दिनॉक 23-10-2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/xxxiv(6)2007.3(168)2001 दिनॉक 27-02-2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

**5. कैरियर काउन्सलिंग प्रकोष्ठ:-** हमारे महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के रोजगार सम्बन्धी परामर्श देने के लिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। रोजगार के अवसर के साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की सूचनायें इस प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

**6. रेड रिबन क्लब:-** महाविद्यालय मे रेड रिबन क्लब के माध्यम से छात्र/छात्राओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

**7. महिला प्रकोष्ठ (Women Cell)**

**8. महिला यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ**

**रैगिंग एक कानूनन अपराध:-** माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चित करे।

**अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडीजाति द्शमोत्तर छात्रवृति हेतु चेक लिस्ट (अवश्यक अभिलेख)**

1. गत्वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र की प्रमाणित प्रति। -
2. निम्न तथ्यों के साक्ष्य में रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक है:-

(i) गैप (Gap) के सम्बन्ध में शपथ पत्र (ii) समकक्ष/अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त न करने के सम्बन्ध में। (iii) छात्र/ छात्रा स्वयं की आय सम्मलित करते हुए छात्र के परिवार के समस्त स्रोतों के कुल मासिक आय के सम्बन्ध में। (iv) कहीं भी पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में (v) छात्र/छात्रा के शासकीय/गैर शासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से कुल मासिक वेतन (वेतन, महंगाई, भत्ता, महंगाई वेतन, तथा अन्य भत्तों सहित) वेतन प्रमाण पत्र (वेतनस्लिप) की प्रमाणित प्रति। (vi) अन्य राज्य या स्रोत से छात्रवृत्ति न प्राप्त करने की शपथ।

3. छात्र/छात्रा का प्रमाणित फोटो।
4. छात्र/छात्रा की कक्षा मे प्रवेश तिथि।
5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यालिपि।
6. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. छात्र/छात्राओ का स्टेट बैंक का खाता संख्या एवं पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।

**अनुशासनः**

अनुशासन मण्डल महाविद्यालय मे स्वच्छ एवं अनुशासित शैक्षिणिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। समय-समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नियम बनाये जाते हैं। जिसका अनुपालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। अनुशासन मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासन मण्डल का पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करे।

**पुस्तकालय :**

पुस्तक प्राप्त करते समय विद्यार्थी को स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पुस्तकें उपलब्ध होने पर स्नातक स्तर पर 02 पुस्तके निर्गत की जायेंगी। पुस्तकालय द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को तत्काल पुस्तकें वापिस करनी होंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गंदी हो जाये या नष्ट हो जाएँ तो विद्याथी को नई पुस्तक क्रय कर पुस्तकालय में जमा करनी होगी। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा शुरू होने से पूर्व पुस्तकालय में जमा करवानी होंगी। विद्यार्थी को केवल उनके विषय से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जायेगी।